



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक—(इकाई-2)

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1995 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु:-

स्वीकृति - पत्र

सेवा में,

श्री डा० नीरज अग्रवाल,
पुत्र श्री डा० आर० के० अग्रवाल,
निवासी-495, तारीन, बहादुरगंज
निकट-घण्टाघर, शाहजहाँपुर।

पत्रांक..... 866

नि०प्र०-05 / 2013-14

दिनांक- 6/5/15

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-1/COM-3, योजना सं०-3, शाहजहाँपुर में निर्माण करने सम्बंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक-29.04.2015 के कम में आदेश रजिस्टर सं० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. कम्पाउन्ड वाले परिषद के निर्धारित डिजाईन के अनुसार निर्मित की जानी होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक- 6/5/15 से 5/5/2020 तक) पाँच वर्ष होगी।
4. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
5. भूखण्ड पर प्रथम बार निर्माण करने की सूचना अधिशासी अभियंता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-23, बरेली को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
6. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
7. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा वह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
8. यह स्वीकृत केवल स्टिल्ट, प्रथम तल तथा द्वितीय तल, ममटी हेतु है।
9. यह स्वीकृत 924.00 वर्ग मी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये 800.00 वर्ग मी० के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
10. Stilt Floor पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार दर्शायी गयी पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कोई भू-प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा।

संलग्नक-स्वीकृति मानचित्र की एक प्रति।

पृ०स०..... 866
प्रतिलिपि :-

/ उपरोक्त /

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक
तद् दिनांक- 6/5/15

1. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-23/24/25/26 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद बरेली को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, शाहजहाँपुर को उपरोक्त शर्तों के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक—(इकाई-2)

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1995 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु:-

स्वीकृति - पत्र

सेवा में,

श्री अमितेश (मंत्री),
पुत्र श्री दिनेश चन्द्र द्विवेदी,
श्री माँ ग्रामोद्योग संस्था खिरनी बाग,
शाहजहाँपुर।

पत्रांक.....1395

नि०प्र०-04 / 2014-15

दिनांक-23-6-2015

शैक्षिक भूखण्ड संख्या-NS-1/01 योजना सं०-3, शाहजहाँपुर में निर्माण करने सम्बंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक-16.06.2015 के कम में आदेश रजिस्टर सं० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. कम्पाउन्ड वाले परिषद के निर्धारित डिजाईन के अनुसार निर्मित की जानी होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक-23-6-15 से 22-6-2020 तक) पाँच वर्ष होगी।
4. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
5. भूखण्ड पर प्रथम बार निर्माण करने की सूचना अधिशासी अभियंता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-23, बरेली को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
6. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
7. यदि इस भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा वह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
8. यह स्वीकृत केवल भूतल, प्रथम तल तथा ममटी हेतु है।
9. यह स्वीकृत 262.95 वर्ग मी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये 444.00 वर्ग मी० के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी शाहजहाँपुर के पत्रांक-2015/10700/SHA/SHAHJAHANPUR /146/ CFO/दि०-15.06.2015 के द्वारा दी गयी अनापत्ति-पत्र के अनुसार समस्त प्राविधान सुनिश्चित किये जाने होंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
11. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार दर्शायी गयी पार्किंग के प्राविधान सुनिश्चित किये जाने होंगे।

संलग्नक-स्वीकृति मानचित्र की एक प्रति।

पृ०स०.....1395
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त/.....

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक
तद दिनांक-23-6-2015

1. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-23/24/25/26 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद बरेली को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, शाहजहाँपुर को उपरोक्त शर्तों के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद-शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक-2015/10700/SHA/SHAHJAHANPUR /146/ CFO/दि०-15.06.2015 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

Received
23.06.15

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक